संख्या– 1085 / एक–9–2022–रा–9

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक: २० जुलाई, 2022

विषय:–राजस्व विभाग की सेवाओं (आय, जाति एवं निवास) को उमंग मोबाइल एप के माध्यम से आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

अवगत कराना है कि उमंग मोबाइल एप का विकास नेशनल ई–गवर्नेन्स डिवीजन (एन.ई.जी.डी.), इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है, जिसका उद्घाटन मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 2017 को किया गया है। इस मोबाइल एप द्वारा नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं (केन्द्र / राज्य सरकार) का लाभ प्राप्त कर सकता हैं। उमंग एप का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को जी 2 सी सेवायें एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है, जिससे कि आम जनमानस को अलग–अलग विभागों के एप्स का उपयोग न करके एक सिंगल एप में ही सभी सेवायें उपलब्ध हो सकें।

2– इस सम्बन्ध में पूर्व में अपर मुख्य सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन के अर्द्ध शासकीय पत्र सं0–1174 / 78–1–2021–929 / 2021, दिनांक 04 अगस्त, 2021 द्वारा सभी विभागों को दिशा–निर्देश निर्गत किये गये कि वह अपने–अपने विभागों की ऑनलाइन सिटीजन सेन्ट्रिक सेवाओं को उमंग प्लेटफार्म पर इन्टीग्रेट कराये जाने की कार्यवाही करें।

3– आप सभी अवगत ही है कि विगत कई वर्षों से राजस्व विभाग की सेवायें (आय, जाति एवं निवास) ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल / ई–साथी के माध्यम से प्रदेश में स्थापित समस्त जन सेवा केन्द्रों द्वारा आम जनमानस को उपलब्ध करायी जा रही है। इसी क्रम में ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध इन सेवाओं APIs/Web Service के माध्यम से उमंग मोबाइल एप पर इन्टीग्रेट कर दिया गया है, जिसकी टैस्टिंग भी सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गयी है।

4— यह भी अवगत कराना है कि आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0—20 2020/1101/78—2—2020—34आई.टी./2010, दिनांक 03 दिसम्बर 2020 द्वारा दिशा—निर्देश निर्गत किये गये कि आम जनमानस द्वारा पेमेन्ट गेटवे का उपयोग करते हुए बिना जन सेवा केन्द्र जाए आवेदन की दशा में प्रत्येक शासकीय सेवा के लिए रू0 15/— यूजर चार्जेज के रूप में लिया जायेगा। उमंग एप पर इन सेवाओं के आवेदन हेतु आम जनमानस से समान रू0 15/— यूजर चार्जेज के रूप में लिया जायेगा, जिसका अंश विभाजन आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुरूप ही किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या—1085(1)/एक—9—2022—रा—9, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2—अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3—अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
4—कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
5—आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
6—राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई—गवर्नेन्स, उ0प्र0, अपट्रान बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ।
7—राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एस0आई0ओ0), एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
8— हेड, एस0ई0एम0टी0, उ0प्र0।
9—गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।